

कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-प्रारं/बजट/बी-5/9719/2017-18/

दिनांक 02.06.17

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

ऑफिस आई.डी.911

विषय:-शिक्षा के अधिकार अन्तर्गत फीस पुर्नभरण राशि के लिये वित्तीय वर्ष 2017-18 में शैक्षिक सत्र 2015-16 प्रथम/द्वितीय एवं 2016-17 प्रथम/द्वितीय किश्त हेतु बजट आवंटन।
प्रसंग:-आपके कार्यालय का पत्र दिनांक 08.05.2017

महोदय,

विषयान्तर्गत निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(ग) में किये गये प्रावधानों की पालना में राज्य के गैर सरकारी विद्यालयों में दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह के बालकों को निःशुल्क शिक्षण हेतु प्रवेश के उपरान्त वित्तीय वर्ष 2017-18 में शैक्षिक सत्र 2015-16 प्रथम/द्वितीय एवं 2016-17 प्रथम/द्वितीय किश्त की राशि के पुनर्भरण हेतु विभिन्न लेखामदों में राशि का आवंटन निम्नानुसार किया जा रहा है।

क्र.स.	बजट मद	शैक्षिक सत्र 2015-16 प्रथम/द्वितीय एवं 2016-17 प्रथम/द्वितीय किश्त की बकाया राशि के भुगतान हेतु
1	2202-01-800-14-00-57 (राज्य निधि)	640000000
2	2202-01-796-11-00-57 (राज्य निधि)	190000000
3	2202-01-789-04-00-57 (राज्य निधि)	310000000
योग		1140000000

(रूपये एक अरब चौदह करोड मात्र)

उक्त राशि वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपयोग हेतु आवंटित की गई है तथा राशि का उपयोग इस कार्यालय के आर.टी.ई. अनुभाग द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के अनुसार नियमानुसार किया जावे।

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक फ.5(थ-75)कोष/IFMS/कोषालय/23484-23623 दिनांक 13.12.2013 के तहत आई.फ.म.स के अन्तर्गत कोषालय से प्रत्येक माह की 1 से 10 तारीख तक किये गये आय व्यय के आंकड़ों का मिलान 14 तारीख तक व 11 तारीख से माह के अन्त तक का मिलान आगामी माह की 3 तारीख तक आवश्यक रूप से किया जाये।

भवदीय

उप वित्तीय सलाहकार
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकर (लेखा एवं हक) राजस्थान जयपुर।
2. नोडल अधिकारी,सिस्टम एवं अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा।
3. सहायक निदेशक, आरटीई0अनुभाग।
4. सहायक लेखाधिकारी अंक मिलान/योजना अनुभाग।
5. रक्षित पत्रावली।

उप वित्तीय सलाहकार